<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

स्टाम्प. अपील वाद संख्या–12 / 2023
भुवनेश्वर नाथ पाठक
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 6773 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के आलोक में सहायक निबंधक महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 20 / 2020–21 में दिनांक 04.01.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के निबंधित केवाला दिनांक 07.10.2020 में कमी मुद्रांक पाते हुए 252157 / – तथा उस पर जुर्माने की राशि–25216 / – अर्थात कुल 277373 / – जमा करने का आदेश दिया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिंदु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(6) का अनुपालन नहीं किया है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(4), जिसमें अंकित है कि *Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or (3) may appeal to the Commissioner concerned of the administrative division. Such appeal shall be preferred within sixty days of the order and shall be heard and disposed of by the Commissioner.* के अंतर्गत इस न्यायालय (आयुक्त) में वाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(A) , (6) जिसमें अंकित है – *Before filing an appeal under sub-section (4), the aggrieved party shall deposit 50% (fifty percent) amount of the payable deficit Stamp duty chargeable on the market value of the property as determined by the Collector.* अर्थात अपील दायर करने के पूर्व कमी मुद्रांक की राशि का 50% जमा करना अनिवार्य है। परंतु अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(A), (6) का अनुपालन नहीं किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47A (6) का अनुपालन नहीं करने के कारण प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL